



केन्द्रीय विद्यालय संगठन



आशादीन  
अमृत महोत्सव

केन्द्रीय विद्यालय संगठन  
शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन स्वायत्त संस्थान  
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN  
Under Ministry of Education, Govt. of India  
मुख्यालय, नई दिल्ली / Head quarters, New Delhi  
Website: [www.kvsangathan.nic.in](http://www.kvsangathan.nic.in)  
Email: [jcp.kvs@gmail.com](mailto:jcp.kvs@gmail.com), Tel: 011-26858565

18, संस्थागत क्षेत्र, शाहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली / 18, Institutional Area, Shaheed Jeet Singh Marg, New Delhi

F.11072/1/2013/के.वि.स.(मु.)/(प्रशा.।) | 573

दिनांक: 12.10.2023

### आदेश

माननीय केन्द्रीय शिक्षा मंत्री एवं अध्यक्ष केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा शैक्षिक मत्र 2023-24 में राष्ट्रीय संस्थान प्रौद्योगिकी (NIT) अरुणाचल प्रदेश, जोटे (Jote), जिला - पापुम पोरे - 791113 (उच्च शिक्षा संस्थान क्षेत्र) के अधीन तथा केन्द्रीय विद्यालय खोलने की संस्वीकृति प्रदान कर दी गई है। वर्तमान में इस नए केन्द्रीय विद्यालय में कक्षा 01 से 05 तक (प्रत्येक कक्षा में एक सेक्शन) खोलने और भविष्य में साध्यता के आधार पर विद्यालय में अन्य कक्षाओं/सेक्शनों में वृद्धि की जा सकेगी।

प्रायोजक प्राधिकरण अर्थात् राष्ट्रीय संस्थान प्रौद्योगिकी (NIT) अरुणाचल प्रदेश, जोटे (Jote) जिला - पापुम पोरे - 791113 निम्नलिखित व्यवस्था करने के लिए उत्तरदायी होंगे:-

1. केन्द्रीय विद्यालय संगठन के विनिर्देशानुसार स्थायी विद्यालय भवन।
2. केन्द्रीय विद्यालय के सभी कर्मचारियों के लिए 100% स्टाफ क्वार्टरों की व्यवस्था।
3. 15% प्रशासनिक ऊपरी खर्च (AOC) एवं भावी विकास के खर्च सहित मसत आवर्ती और अनावर्ती खर्च।

भविष्य में प्रायोजक प्राधिकरण आवर्ती और अनावर्ती खर्च संबंधी बजट राशि को उपायुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन क्षेत्रीय कार्यालय, तिनसुकिया को अग्रिम किस्त के रूप में जमा करवाएंगे। उदाहरण के तौर पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अग्रिम किस्त अप्रैल महीने में दूसरी किस्त अक्तूबर महीने में जमा की जाएगी।

प्रायोजक प्राधिकरण यदि अपने वायदे को पूरा करने में असफल रहते हैं तो केन्द्रीय विद्यालय की कक्षाओं/सेक्शनों की संख्या को कम करने के लिए आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन प्राधिकृत होंगे।

इस केन्द्रीय विद्यालय में प्रवेश हेतु आई एच एल क्षेत्र के अंतर्गत केन्द्रीय विद्यालय के संबंध में केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं और नियमों के अनुसार प्रवेश दिए जाएंगे।

इस विद्यालय में शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए प्रवेश प्रक्रिया, इस आदेश के जारी होने की तिथि से 30 दिनों के अंदर पूरी की जा सकती है।

पी. देवकुमार  
(डॉ. पी. देवकुमार)  
संयुक्त आयुक्त (कार्मिक)  
12.10.23

वितरण: -

1. माननीय शिक्षा मंत्री एवं अध्यक्ष, के.वि.सं. के निजी सचिव।
2. सचिव (स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता) शिक्षा मंत्रालय एवं डिप्टी चैयरमैन के.वि.सं. के वरिष्ठ पी.पी.एस.।
3. संयुक्त सचिव (संस्थान) शिक्षा मंत्रालय एवं उपाध्यक्ष, के.वि.सं. के पी.पी.एस.।
4. उप सचिव (आई.एन.एस.- I & II), शिक्षा मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
5. आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के कार्यकारी सहायक/निजी सचिव।
6. संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक), केन्द्रीय विद्यालय संगठन को इस अनुरोध के साथ की वे नियमानुसार स्टाफ स्वीकृति आदेश जारी करें।
7. संयुक्त आयुक्त (प्रशा.।)/(प्रशिक्षण)/(प्रशा.)/(कार्मिक), केन्द्रीय विद्यालय संगठन को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
8. संयुक्त आयुक्त (वित्त), केन्द्रीय विद्यालय संगठन को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
9. अधीक्षक अभियंता, (कार्य शाखा), के.वि.सं. (मु.) नई दिल्ली।
10. रजिस्ट्रार, नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एन.आई.टी.) अरुणाचल प्रदेश, जोटे (Jote) - 791113.
11. उपायुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, सभी क्षेत्रीय कार्यालय।
12. उपायुक्त, ई.डी.पी. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय विद्यालय संगठन को के.वि.सं. की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
13. निदेशक, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, प्रीत विहार, दिल्ली।
14. निदेशक, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, सभी जीट ग्वालियर/मुंबई/मैसूर/चंडीगढ़/शुवनेश्वर।
15. सभी अधिकारी/अनुभाग, केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु.), नई दिल्ली।
16. अध्यक्ष/ सचिव के.वि.सं. मान्यता प्राप्त स्टाफ संघ।